

**यू०पी० नीट पी०जी०-२०१८ के अन्तर्गत आल इण्डिया कोटे की समर्पित  
सीटों के आवंटन के संबंध में आवश्यक सूचना**

- रिट याचिका सं० (सिविल) २६७/२०१७ दार-उल-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक ०९.५.२०१७ के अनुपालन में नीट पीजी-२०१८ के अन्तर्गत आल इण्डिया कोटे की समर्पित सीटों पर आवंटन की कार्यवाही नीट पीजी-२०१८ की आल इण्डिया मेरिट के आधार पर सम्पन्न की जायेगी। स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन स्टेट मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकृत ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने धरोहर धनराशि जमा कर रखी है, वह आल इण्डिया तथा स्टेट दोनों कोटे की रिक्त सीटों के लिए अर्ह है।
- अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय आल इण्डिया तथा स्टेट कोटे की सीटें प्रदर्शित होगी। आवंटन प्रक्रिया सर्वप्रथम आल इण्डिया कोटे की सीटों पर की जायेगी, तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटों पर की जायेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में यदि आल इण्डिया कोटे से आवंटन प्राप्त हो जाता है, तो वह अभ्यर्थी स्टेट कोटे की सीटों के आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी वही विकल्प प्रस्तुत करें जिसमें वह प्रवेश के इच्छुक हों।
- आल इण्डिया कोटे से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रवेश आल इण्डिया द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर तथा स्टेट कोटे से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
- प्रदेश की प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट उच्चकृत/पुनरावटित होने की स्थिति में पूर्व काउन्सिलिंग से आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- आवंटन/प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् रिक्त आल इण्डिया कोटे की सीटों को मॉप-अप राउण्ड की काउन्सिलिंग में स्टेट कोटे में सम्मिलित करते हुये आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट पीजी-२०१८ के अन्तर्गत एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आल इण्डिया कोटे की सीटों के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रवेशित है, वह द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

महानिदेशक।